निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 70/2022
दायरा दिनांकः–06.07.2022
निर्णय दिनांकः–24.09.2025

उनवान

1. घांसीलाल पुत्र नेनगा जाति चमार निवासी जैपला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र गोरीलाल जाति लोधा निवासी सेवनखेडी
2. पप्पू पुत्र मूलचन्द जाति लोधा निवासी सेवनखेडी
3. कल्लु पुत्र मूलचन्द जाति लोधा निवासी सेवनखेडी
4. नैना पुत्र मूलचन्द जाति लोधा निवासी सेवनखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः–24.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री जितेन्द्र जैन/नवनीत जैन – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,183 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी गरीब काश्तकार है ओर जाति से चमार है प्रतिवादीगण जाति से लोधा है जो काफी प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति है। वादी अत्यन्त गरीब व्यक्ति है गरीब व भूमिहीन होने से लगभग 50 वर्ष पूर्व सरकार ने भूमि खसरा नम्बर 107/73 रकबा 6 बीघा भूमि ग्राम आशापुरा तहसील छबडा में अलोट की थी तब से वादी इस भूमि पर काबिज है और काश्त करता चला आ रहा है। कुछ वर्ष पूर्व इसी भूमि पर आशापुरा गांव के पूनिया एवं लटुर पुत्र लालचन्द ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने का प्रयास किया था। तब वादी उनके खिलाफ माननीय न्यायालय एस.डी.ओ साहब की अदालत में दावा पेश किया था माननीय न्यायालय ने दावा स्वीकार कर पूनिया एवं लटुर को धारा 188 आर0टी0एक्ट में पाबन्द किया था। प्रतिवादीगण ताकतवर व्यक्ति है गांव में भी काफी बोल बाला है जबकी वादी गरीब व्यक्ति है प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर जबरन एक वर्ष पूर्व कब्जा कर लिया वादी ने थाना बापचा में कार्यवाही की थाना बापचा ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया किन्तु प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर थाने में कोई कार्यवाही नही होने दी वादी ने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

फी अनुरोध कियां किन्तु प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के और भी पेश किया किन्तु कोई कार्यवाही नही की इसलिए वादी के पास न्यायालय में दावा पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा शेष नही है। प्रतिवादीगण जाति से लोधा है और प्रार्थी जाति से चमार है और गरीब है तथा प्रतिवादीगण वादी की जमीन पर कब्जा कर उपज कर लाभ प्राप्त कर नाजायज लाभ प्राप्त कर रहा है। इस वादी का वाद कारण गत वर्ष माह जून 2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी कि भूमि खसरा नम्बर 104/73 रकबा 6 बीघा ग्राम आशापुरा तहसील छबडा पर कब्जा कर लिया और थाना बापचा ने भी कोई कार्यवाही नही की लिहाजा यह तारीख ही इस वाद की विनय मुखास्मत करार दी जाती है। यह कृषि आराजी से सम्बन्धित है और वाद बेदखली का है इसलिए इस वाद को सुनने व फैसला करने का विधिक अधिकार है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आशापुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 20 (प्रर्दश 1) नकल निर्णय दिनांक 28.08.2001 मुकदमा नम्बर 98/2000 दावा उनवान घांसीलाल बनाम पूनिया (प्रर्दश 2) पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 घांसीलाल के बयान कराये गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आशापुरा तहसील छबडा में स्थित है। वादी गरीब व भूमिहीन होने के कारण लगभग 50 वर्ष पूर्व वादी का खसरा नम्बर 104/73 रकबा 6 बीघा आवटंनन हुई थी। तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है कुछ वर्ष पूर्व इस भूमि पर पूनियाव लटुर पुत्र लालचन्द ने जबरन कब्जा करने का प्रयाय किया तब से वादी ने उनंके खिलाफ माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय छबडा में दावा पेश जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रतिवादी पूनिया लटुर को धारा 188 आर0टी0एक्ट में पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी/वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया वादी ने थाना बापचा में कार्यवाही की परन्तु थानाधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की प्रार्थी द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु कोई कार्यवाही नही की गई। प्रतिवादी जाति से लोधा है और वादी अनूसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है प्रतिवादीगण गरीब वादी की जमीन पर जबरन कब्जा कर फसल काश्त कर रहा है जिसका कोई अधिकार नही है वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादी की भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी/वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आशापुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 20 घांसीलाल पुत्र नेनगा कोम चमार सा0देह जैपला दर्ज है नकल निर्णय दिनांक 28.08.2001 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा बउनवान घांसीलाल बनाम पूनिया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...रा 188 आर0टी0एक्ट वादी का स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। विवादित आराजी वादी के खातेदारी की है पूर्व में पूनिया व लटुर द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई न्यायालय द्वारा उनको 188 आर0टी0एक्ट में पाबन्द किया गया। उसके वाद 2021 में प्रतिवादीगण द्वारा की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया होना बताया गया। वादी खातेदार कृषक है तथा प्रतिवादी द्वारा किया गया कब्जा अवैध है। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किए गए है। अर्थात् वादी के दावे का खंडन नही किया गया है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है। अतः प्रतिवादीगण को वादी की भूमि पर कानून कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य व सबूत न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत नही गये है। इसलिए प्रतिवादीगण को अतिक्रमी मानतें हुए वादी की भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आशापुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 104/73 रकबा 6 बीघा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

प्राथमिक–डिक्री

वाद संख्या 70 / 2025	धारा 183 ,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 24.09.2025
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री जितेन्द्र जैन/ नवनीत जैन	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. घांसीलाल पुत्र नेनगा जाति चमार निवासी जैपला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र गोरीलाल जाति लोधा निवासी सेवनखेडी
2. पप्पू पुत्र मूलचन्द जाति लोधा निवासी सेवनखेडी
3. कल्लु पुत्र मूलचन्द जाति लोधा निवासी सेवनखेडी
4. नैना पुत्र मूलचन्द जाति लोधा निवासी सेवनखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आशापुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 104/73 रकबा 6 बीघा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24.09.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां (राज.)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		